प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' इक्यावन '

प्रश्न सं. [क्र. 4297]

परिशिष्ट - अ

[16/3/2018]

मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4297

राशि रू लाख

क्रमांक	कार्य/स्थल का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि का उपयोग	रिमार्क
1	भानपुरा जिला मुरैना में पर्यटक सुविधाओं का विकास।	100 .00	100.00	कार्य पूर्ण	-
2	बटेश्वर मंदिर में विकास कार्य	150.03	85.92	कार्य प्रगति पर	शेष राशि का व्यय एवं समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
3	पढावली में विकास कार्य	150.09			
4	मितावली में विकास कार्य	150.05	71.42	कार्य प्रगति पर	शेष राशि का व्यय एवं समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
5	ककनमठ में विकास कार्य	150.02	-	ए.एस.आई. से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त ना होने के कारण कार्य प्रारम्भ नही हो सका	-
6	पढावली में मार्ग सुविधा का निर्माण कार्य	100.03	44.80	कार्य प्रगति पर	शेष राशि का व्यय एवं समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

कार्यपालन यंत्री

1. दृष्टि वक्तव्य

"संतुलित एवं समेकित पर्यटन की ऐसी अभिवृद्धि जिससे सामाजिक एवं आर्थिक विकास संभव हो तथा मध्यप्रदेश समग्र पर्यटन अनुभव प्रदान करने वाला गन्तव्य बन सके"।

2. सिद्धांत

नीति के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यवाही बिन्दु (Points of Action) मुख्यतः निम्न सिद्धांतों (Principle) पर आधारित हैं :–

2.1 ऐसी संस्थागत व्यवस्था स्थापित करना, जिससे शासन द्वारा निर्धारित दिशा में निजी निवेश प्रोत्साहित हो।

2.2 समेकित पर्यटन (sustainable tourism) के लिये प्रभावी नियामक प्रक्रिया की स्थापना हो।

2.3 पर्यटक स्वागत, सूचना, सुविधा, सुरक्षा, संरचना तथा सफाई के लिये सभी उपाय किये जायें।

2.4 धरोहरों का संरक्षण एवं पर्यटन में उपयोग किया जाये।

2.5 ईको पर्यटन (Eco Tourism) आम–जन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करने का कारक बने।

2.6 शासकीय विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं, समुदाय तथा पर्यटन उद्योग के हितधारी पक्षों के मध्य समन्वित सक्रिय भागीदारी स्थापित हो।

2.7 पर्यटन क्षेत्र में पब्लिक–प्रायवेट पार्टनरशिप पर आधारित पर्यटक परियोजनाओं का समुचित विकास हो।

2.8 नीति प्रभावशीलता अवधि– यह नीति जारी होने के दिनांक से प्रथमतः पाँच वर्ष की अवधि तक प्रभावशील रहेगी तथा इस अवधि में प्रारंभ/स्थापित (उत्पादन प्रारंभ/विस्तार) पर्यटन परियोजनाओं को इस नीति के प्रावधानों के अनुसार लाभ/छूट/रियायतें प्राप्त करने की पात्रता होगी। तथापि इस नीति के पूर्व स्थापित होने वाली पर्यटन परियोजनाओं को लाभ/छूट/रियायतें तत्समय प्रचलित नीति के अनुसार प्राप्त होंगी।

3. रणनीति

उपर्युक्त सिद्धांतों तथा पर्यटन दृष्टि–वक्तव्य के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये रणनीति (Strategy) निम्नानुसार होगी –

3.1 निजी निवेश को आकर्षित करने के लिये स्पष्ट, पारदर्शी तथा मानक प्रक्रिया को स्थापित किया जायेगा।

3.2 गन्तव्य के विपणन के लिये अपेक्षित अनुसंधान तथा डाटा–बेस तैयार किया जायेगा।

3.3 पर्यटन के क्षेत्र में प्रामाणिक सांख्यिकीय डाटा–बेस तैयार करने तथा पर्यटकों से फीडबैक प्राप्त कर व्यवस्थागत सुधार की दृष्टि से युक्तियुक्त प्रणाली विकसित की जायेगी।

3.4 अधोसंरचना यथा सड़क, पेयजल, ऊर्जा, स्वच्छता, परिवहन तथा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन का निरंतर संधारण तथा प्रोन्नयन किया जायेगा।

3.5 स्थानीय निकायों को पर्यटन के प्रति संवेदनशील बनाकर उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

3.6 मेले, स्थानीय व्यंजन, संस्कृति, वेशभूषा, उत्पाद, कला, हस्तकला तथा विरासत के विपणन के लिये ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.7 ईको पर्यटन के गन्तव्यों में प्राकृतिक संसाधनों एवं सौन्दर्य की सुरक्षा तथा संरक्षण का सर्वोपरि ध्यान रखा जायेगा।

3.8 आध्यात्मिक पर्यटन के लिये चिन्हित स्थानों के विकास की समग्र योजना तैयार की जायेगी।

3.9 वृहद जलाशयों पर पर्यटन सुविधाओं का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जायेगा।

3.10 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश के विभिन्न शहरों को सड़क मार्ग (बस सेवा) तथा वायु सेवा से जोड़ने हेतु प्रभावी उपाय किये जायेंगे एवं निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.11 स्थानीय प्रशासन के सहयोग तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण से साहसिक पर्यटन के लिये आवश्यक व्यवस्थायें स्थापित की जायेंगी।

3.12 पर्यटन उद्योग के सभी क्षेत्रों में नियोजित मानव संसाधन का ऐसा प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जायेगा ताकि प्रदेश की पर्यटन अनुकूल (Tourism friendly) छवि बन सके एवं युवाओं को रोज़गार के अवसर भी मिल सकें।

3.13 निजी निवेश से पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये उपयुक्त स्थल चयन कर लैण्ड बैंक (Land Bank) को निरंतर बढ़ाया जायेगा।

3.14 प्रदेश में पर्यटकों को पर्याप्त एवं स्तरीय आवास सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य से स्टेंडर्ड (Standard) एवं डीलक्स (Deluxe) श्रेणी के होटलों की निजी निवेश से स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.15 शासन के अन्य सुसंगत विभागों की कार्य योजना में "पर्यटन योजना" को सम्मिलित करने का प्रयास किया जायेगा।

3.16 निजी निवेश से हेरिटेज होटल की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये अनुदान/रियायतें दी जायेगी।

3.17 MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में निजी निवेश से कन्वेंशन सेंटर स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.18 प्रदेश में होटल/रिसोर्ट सहित विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु अनुदान/रियायतें उपलब्ध करायी जायेगी।

4. मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम

प्रदेश में पर्यटन नीति को क्रियान्वित करने के लिये मैदानी स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। निगम की भूमिका निम्नानुसार होगी :–

4.1 निगम पर्यटन सेवायें प्रदान करते हुये संपूर्ण प्रदेश में निजी निवेश से पर्यटन सेवाओं की स्थापना, विस्तार एवं विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

4.2 निगम यथा आवश्यकता अपनी इकाईयों को संचालन हेतु प्रबंधकीय अनुबंध अथवा दीर्घ अवधि की लीज पर निजी क्षेत्र को सौंप सकेगा।

4.3 पर्यटन उद्योग से जुड़े हितधारियों से संपर्क एवं समन्वय रखते हुये पर्यटन संवर्धन, प्रबंधन एवं संचालन संबंधी समस्या समाधान हेतु प्रभावी कदम उठाये जायेंगे।

4.4 पर्यटन संभावित अविकसित नवीन क्षेत्रों में निवेश कर पर्यटन परियोजनाएं स्थापित की जायेंगी तथा निजी निवेश का मार्ग प्रशस्त कर निवेशकों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

4.5 निगम यथा आवश्यकता अपनी इकाईयों का विस्तार करेगा एवं प्राप्त लाभ से नवीन क्षेत्रों का विकास करेगा।

4.6 प्रदेश में सत्कार प्रशिक्षण, फूड क्राफ्ट, पर्यटन प्रबंधन आदि क्षेत्रों में उच्च शिक्षा एवं अन्य कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों यथा मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी एंड ट्रेनिंग, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी आदि का यथा आवश्यक विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

4.7 भारत शासन, राज्य शासन एवं वित्तीय संस्थाओं से पर्यटन परियोजनाओं के लिये ऋण एवं अनुदान प्राप्त करने हेतु समस्त कार्यवाही करेगा।

4.8 पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने, इन्वेस्टर्स फेसिलीटेशन, निवेशकों को नीति अनुसार अनुदान एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा पर्यटन परियोजनाओं के आकल्पन,

क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिये विभाग द्वारा पर्यटन विकास निगम में एक पृथक प्रभाग "निवेश संवर्धन एवं योजना प्रभाग" (Investment Promotion and Planning Division) का गठन किया जायेगा। इस प्रभाग हेतु विधिवत् सेटअप का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा। प्रभाग में सेटअप अनुसार आवश्यक मानव संसाधन निगम द्वारा पदस्थापित किये जायेंगें। इस प्रभाग को कार्यशील रखने के लिये आवश्यक वित्तीय
संसाधन शासन द्वारा निगम को पृथक से उपलब्ध कराये जायेंगे।